संख्या- 169 /2019 / 2476 /चार-2019

प्रेषक,

शिशिर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 14 दिसम्बर, 2019

विषय:- विश्व धरोहर सप्ताह (19-25 नवम्बर, 2019) को अभिलेख प्रदर्शनी के आयोजन पर व्यय की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2103/सं0नि0-(अभि0-क्रय)/2018-19 दिनांक 16.10.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विश्व धरोहर सप्ताह (19-25 नवम्बर, 2019) के अवसर पर क्षेत्रीय अभिलेखागार, वाराणसी द्वारा संरक्षित स्मारक गुरूधाम मन्दिर परिसर, वाराणसी में अभिलेख प्रदर्शनी एवं व्याख्यान का आयोजन हेतु उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त रू0 52,000/- (रूपये बावन हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कराने के उपरान्त ही, भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।
(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा सम्पन्न कराये गये कार्यक्रमों पर व्यय विवरण, बिल बाउचर्स सहित उपलब्ध कराया जायेगा।

3- उक्त धनराशि रू0 52,000/- (रूपये बावन हजार मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-104- अभिलेखागार-03-राज्य अभिलेख-42-अन्य व्यय मद (क्षेत्रीय अभिलेखागार, वाराणसी) में उपलब्ध धनराशि से वहन किया जायेगा।

भवदीय,
(शिशिर)
विशेष सचिव

संख्या- 169 /2019/ 2476 /चार-2019 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- वित्त नियंत्रयक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
3- निदेशक, राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ/क्षेत्रीय अभिलेख अधिकारी, क्षेत्रीय अभिलेखागार, वाराणसी ।
4- कोषाधिकारी, कोषागार, लखनऊ/वाराणसी।
5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(शिशिर)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।